

**(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)**  
**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**  
**FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT**  
**DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002**

No.F3(11)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/354

Dated: 30/06/17

**NOTIFICATION**

No.F3(11)/Fin(Rev-I)/2017-18/ - In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints the 1<sup>st</sup> day of July, 2017, as the date on which the provisions of sections 6 to 9, 11 to 21, 31 to 41, 42 except the proviso to sub-section(9) of section 42, 43 except the proviso to sub-section (9) of section 43, 44 to 50, 53 to 138, 140 to 145, 147 to 163 and 165 to 174 of the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Lt. Governor of  
the National Capital Territory of Delhi

**(S.K. Gupta)**  
**Dy. Secretary VI (Finance)**

No.F3(11)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/354

Dated: 30/06/17

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi in duplicate with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
3. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
4. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
5. The Commissioner, Value Added Tax, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.

8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
10. Guard File.

**(S. K. Gupta)**  
**Dy. Secretary VI (Finance)**

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
वित्त (राजस्व-1) विभाग  
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट: नई दिल्ली-110002

सं फा 3(11)/वित्त (राज0-1)/2017-18/डीएस-vi/354

दिनांक: 30/06/17

### अधिसूचना

सं फा 3 (11)/ वित्त (राज -1)/2017-18/ दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 1 जुलाई, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धाराओं 6 से 9, 11 से 21, 31 से 41, उप-धारा (9) के परन्तुक को छोड़कर धारा 42, उप-धारा (9) के परन्तुक को छोड़कर धारा 43, 44 से 50, 53 से 138, 140 से 145, 147 से 163 तथा 165 से 174, के उपबंध लागू होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(एस. के. गुप्ता )

उप-सचिव-VI(वित्त)

सं फा 3(11)/वित्त (राज0-1)/2017-18/डीएस-vi/354

दिनांक: 30/06/17

प्रतिलिपि प्रेषित सूचनार्थ:-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आज की तारीख में एक पृथक प्रति के साथ ताकि दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में इसे प्रकाशित किया जा सके।
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव।
3. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।

6. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
7. निजी सचिव, नेता विपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
8. अतिरिक्त सचिव, (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।

(एस. के. गुप्ता )

उप-सचिव-VI(वित्त)